राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लाट नं. 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, अपेक्स मॉल के पास, लाल कोठी,जयपुर)

क्रमांकःपैरामेडि.कौं/काउंसलिंग/2017/784 दिनांक :–11-4-17

सार्वजनिक सूचना

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर की सार्वजनिक सूचना क्रमांक 4456 दिनांक 19.12.2016 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर की S.B. Civil Writ No. 11460/2015 के क्रम में दिये गये निर्णय दिनांक 19.9.2016 की अनुपालना में क्रम सं. 1 पर अंकित जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा पैरामेडिकल प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यार्थियों को अमान्य माना गया था, एवं पूर्व में जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा पैरामेडिकल प्रशिक्षण प्राप्त जिन अभ्यार्थियों का पंजीयन किया गया था, के पंजीयन आवेदन/पंजीयन पत्र को निरस्त कर दिया गया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में S.B. Writ Review No. 239/2016 दायर की गई। उक्त रिट में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 21.3.2017 में आदेश पारित किया गया जिसमें जीवाजी विश्वविद्यालय से पैरामेडिकल प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यार्थियों को मान्य माना गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर की S.B. Writ Review No. 239/2016 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 21.3.2017 की अनुपालना में जीवाजी विश्वविद्यालय से पैरामेडिकल प्रशिक्षण प्राप्त पैरामेडिकोज को मान्य माना जाता है एवं पूर्व में जिन अभ्यार्थियों का पंजीयन पत्र निरस्त किया गया था, को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर की S.B. Writ Review No. 239/2016 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 21.3.2017 की अनुपालना में बहाल किया जाता है।

रजिस्ट्रार

क्रमांकःपैरामेडि.कौं/काउंसलिंग/2017/784 दिनांक :–11-4-17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव माननीय प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप–3) शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार संबंधित विश्वविद्यालय––––––––––––––––––––
7. संबंधित अभ्यर्थी।
8. सर्वर रूम/नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

रजिस्ट्रार